बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

संख्या–3प / मु0मं0नि0यो0–19–04 / 2016 / 09 पटना दिनांक: 05 / 08 / 2016

वित्त विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार बिहार (लेखा एवं हक०)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों (i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं (ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना है। इन दोनों योजनाओं के द्वारा क्रमशः ग्रामीण आबदी को पाईप द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं गाँवों के पक्की गली–नाली का निर्माण पंचाती राज विभाग द्वारा किया जाना है।

SECC, 2011 के आधार पर वर्ष 2015 में बिहार की कुल आबादी 111066625 (ग्यारह करोड़ दस लाख छियासठ हजार छह सौ पच्चीस) है। ग्रामीण आबादी 98552478 (नौ करोड़ पचासी लाख बावन हजार दो सौ अठहत्तर) तथा ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 17829066 (एक करोड़ अठहत्तर लाख उनतीस हजार छियासठ) है। बिहार में वर्तमान में 8391 (आठ हजार तीन सौ इक्यानबे) ग्राम पंचायतें हैं जिसके आधार पर एक ग्राम पंचायत की अनुमानित औसत आबादी लगभग 13225 (तेरह हजार दौ सौ पच्चीस) है और वर्तमान 114733 (लगभग एक लाख चौदह हजार सात सौ तैंतीस) वार्डों के आधार पर एक ग्राम पंचायत के एक वार्ड की औसत अनुमानित आबादी लगभग 967 (नौ सौ सड़सठ) तथा इसमें औसत अनुमानित घरों की संख्या 155 (एक सौ पचपन) है। वास्तविक रूप में किसी विशिष्ट वार्ड में घरों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

(i) **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना** :–इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्त्ति की छोटी–छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जायेगी। इस योजना में पाईप द्वारा जलापूर्ति हेतु ग्राम पंचायत के एक वार्ड में प्रतिदिन लगभग 63000 (तिरसठ हजार) लीटर (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से) पानी की वर्तमान में आवश्यकता है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिबल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जायेगा। बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल द्वारा जलापूर्त्ति की जायेगी। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जायेगी। बोरिंग से सीधे पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित

लगातार.....

किया जायेगा। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा। स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। मानक प्राक्कलन तैयार करने में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता ली जायेगी। वैसे सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में, जहाँ पानी में फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं लौह (आयरन) संबंधी अशुद्धियाँ पायी जाती हैं या पूर्व से ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा इन्हें विश्व बैंक परियोजना/डी0एफ0आई0डी0 सम्पोषित योजना/पाईप जलापूर्ति योजना (Piped Water Supply Scheme) के तहत आच्छादित कर पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जायेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनानुसार ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 3378 है।

जलापूर्त्ति कार्य पर होने वाले आवर्त्ती व्यय एवं रख–रखाव मद की राशि की व्यवस्था पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि से एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) कर की जायेगी।

ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में उपभोक्ता शुल्क की राशि का नियमानुसार निर्धारण स्थानीय स्तर पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अध्यधीन तय किया जायेगा।

(ii) **निधि की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रबंधन** :– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा अगले तीन वित्तीय वर्षों में इन योजनाओं को पूरा करने पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय की 30 प्रतिशत राशि राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00–लघु शीर्ष 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0109–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515001960109); मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00– लघु शीर्ष 197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0106–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515001970106); मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00– लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष 0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515007890112) एवं मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम समूह शीर्ष उपशीर्ष –00– लघु शीर्ष 198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना (P2515001980113) मद से सहायक अनुदान के रुप में उपलब्ध कराई जायेगी। भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु

लगातार.....

जितनी भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि तथा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन राशि के क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत अंश को जोड़ने के बाद बची हुई राशि की आवश्यकता को राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा करेगी। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 156(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाली बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की कम–से–कम 40 प्रतिशत राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाले प्रतिनिधायन (Devolution) की राशि का कम–से–कम 45 प्रतिशत राशि उपर्युक्त राज्य योजना के अंतर्गत खर्च करने का निदेश तथा अन्य आवश्यक निदेश जारी किये जायेंगे।

वैसे ग्राम पंचायतों में जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किया जायेगा, योजना राशि का प्रबंधन इसी आधार पर किया जायेगा, केवल राज्य योजना मद की राशि की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट के माध्यम से किया जायेगा।

एक पंचायत में औसतन इस योजना के पूर्ण आच्छादन हेतु लगभग ₹166.32 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र की आवश्यकता होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में इस योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा। तदनुसार चार वर्षों में राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की प्रति वर्ष अनुमानित आवश्यकता निम्न होगीः–

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रति वार्ड राशि की आवश्यकता	प्रति पंचायत वर्णित वर्ष में कार्यारंभ हेतु लिए जानेवाले वार्डों का प्रतिशत	सम्पूर्ण राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता		आकलित राशि का 60 प्रतिशत
2016-17	11.88	20	11.88 × 8391×3 =	299055	179433
2017-18	11.88	30	11.88 × 8391×4 =	398740	239244
2018-19	11.88	30	11.88 × 8391×4 =	398740	239244
2019-20	11.88	20	11.88 × 8391×3 =	299055	179433
कुल :–				1395590	837354

(अर्थात् लगभग तेरासी अरब तिहत्तर करोड़ चौवन लाख रूपये मात्र)

लगातार.....

60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार राशि की उपलब्धता की संभावनाः–

(₹करोड़ में)

क्र0	वर्ष	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होनेवाली राशि*		पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होनेवाली राशि* (गणना वर्ष 2015–16 की राशि को स्थिर मानते हुए की गई है)		कुल उपलब्ध राशि (4+6)	कुल उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत	राज्य योजना मद की राशि*	अभिसरण के उपरांत कुल उपलब्ध राशि
		कुल बुनियादी अनुदान	कुल बुनियादी अनुदान का 40%	कुल प्रतिनिधायन की राशि	कुल प्रतिनिधायन की राशि का 45%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2016–17	3142.08	1257.00	1212.75	545.74	1802.74	1081.64	712.69	1794.33
2	2017–18	3630.39	1452.16	1212.75	545.74	1997.90	1198.74	1193.70	2392.44
3	2018–19	4199.71	1679.88	1212.75	545.74	2225.62	1335.37	1057.07	2392.44
4	2019–20	5674.70	2269.88	1212.75	545.74	2815.62	1689.37	104.96	1794.33
	कुल	**16646.88**	**6658.92**	**4851.00**	**2182.96**	**8841.88**	**5305.12**	**3068.42**	**8373.54**

(*राजस्व तरलता के कारण वास्तविक राशि में अंतर आ सकता है तथा वास्तविक व्यय के अनुरूप राज्य योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है।)

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹712.69 करोड़ (सात अरब बारह करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद में मुख्यमंत्री निश्चय योजना हेतु कुल ₹680.00 करोड़ (छह अरब अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें ₹330.00 करोड़ (तीन अरब तीस करोड़ रूपये) मात्र का व्यय इस योजना के अंतर्गत किया जायेगा। शेष ₹382.69 (तीन अरब बयासी करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र का प्रावधान अनुपूरक बजट/बिहार आकस्मिकता निधि से किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं के लिए अलग खाता खोला जायेगा। मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दी जानेवाली राशि सीधे उनके बैंक खाता में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अंतरित करने की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन** :– उपर्युक्त योजनाओं का चयन वार्ड सभा एवं ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु वार्डों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बाहुल्यता एवं तत्पश्चात वार्डों की जनसंख्या को दृष्टिपथ रखा जायेगा। इनका क्रियान्वयन वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में समिति गठित कर ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा।

(iv) **योजनाओं का अनुश्रवण एवं निगरानी** :– योजनाओं की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–10 के तहत निगरानी समिति गठित कर, राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों एवं आवश्यकतानुसार स्वतंत्र वाह्य एजेंसियों (Third Party Monitoring) द्वारा भी कराया जा सकेगा। जिला स्तर पर नियमित अनुश्रवण सुशासन के कार्यक्रम हेतु गठित अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा।

लगातार.....

(v) **योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुदेश** :– ग्राम पंचायतों द्वारा इस योजना के लिए खाते का संधारण, राशि का अंतरण एवं निकासी, कार्यान्वयन, तकनीकी स्वीकृति, अनुश्रवण एवं निगरानी आदि के लिए विस्तृत अनुदेश विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

3. इस योजना में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12.07.2016 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

4. प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

4/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016/09/पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016/09/पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता बिहार, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016/09/पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लगातार.....

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् अपने जिला के जिला परिषद् अध्यक्ष को एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति अपने–अपने पंचायत समिति अध्यक्ष एवं पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को इसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

4/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016 / 09 / पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

4/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016 / 09 / पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2016

प्रतिलिपिः आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

4/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

4-8-16
o/c